

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) श्री बिरजू उरांव पिता- बिफा उरांव ; 2.) श्रीरामदेव उरांव पिता- बिफा उरांव; ग्राम: सराधू , थाना: टंडवा जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: - सराधू, थाना सं° 29 (रैयती भूमि) खाता सं° -187, के अधीन प्लॉट सं° -491, 499, 508, 510, 511, 514, 515, 517, 533, 550, 572, 578, 579, 580, 582, 583, 584, 586, 587, 621, 645, 647, 648, 651, 641, 708P, 710, 712, 717, 721, 724, 1734 ; गैर मजूरवा (जे° जे°) खाता सं° -- 278, के अधीन प्लॉट सं° -516; कुल रकबा: - 4.0008 एकड़ (रैयती भूमि-3.8008 एकड़ & गैर मजूरवा (जे° जे°)- 0.2000 एकड़) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/notiempl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध- संघमित्रा), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

AKW  
26/09/2023